इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 7891-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 11 सन् 2013) जो विधान सभा में दिनांक 19 मार्च, 2013 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०१३

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, २०१३

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, २०१३ है.

(२) यह १ अप्रैल, २०१३ से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रवष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"१. नियोजित व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी,—

(क)	१,८०,००० रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(ख)	१,८०,००० रुपये से अधिक है	२५०० रुपये (ग्यारह माह के लिए प्रतिमाह २०८ रुपये तथा बारहवें माह के लिए २१२ रुपये)".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को वृत्ति कर से राहत देने हेतु विधान सभा में की गई घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए, मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) में आवश्यक संशोधन किया जा रहा हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १५ मार्च, २०१३.

राघवजी,
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.